

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी

क्रमांक: *Camp/Jpr/CampSP-01*

दिनांक: 24.06.2022

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

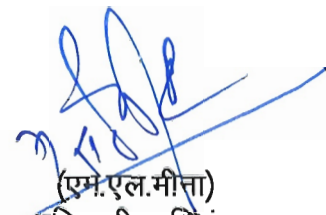
विषय:— **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022 के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:— पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसवजी/2022-23/3073 दिनांक 17.06.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** में परीक्षण करने के उपरान्त जो आक्षेप लगाये गये हैं जिनकी पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मौका जाँच में आने वाली वन भूमि प्रकरण में सत्यापन होने पर प्रस्तावित वन भूमि में कुछ अन्तर पाया गया है। मौका निरीक्षण करने पर सेगमेन्ट 4 में वन भूमि में आने वाली सड़क की लम्बाई आप द्वारा प्रस्ताव में दर्शायी गई 51.00मी के स्थान पर 118मी पाई गई है। अतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन 3.4764 है० के स्थान पर 3.5568 है० संशोधित कर आवश्यक कार्यवाही करावें।	वन भूमि प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। सा.नि.वि. खण्ड-बस्सी के पत्रांक 397 दिनांक 21.06.2022 द्वारा 3.5568 हैक्ट. क्षेत्रफल गैर वन भूमि, वन विभाग को आवंटन करने के लिए श्रीमान् जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा जा चुका है।


(एम.एल.मीता)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड बस्सी, जयपुर